सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 394 राँची, मंगलवार, 23 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

7 जून, 2024

विषय:- राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म ताजा पोषाहार पकाकर लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु गैस सिलिण्डर रिफिलिंग की स्वीकृति।

ज्ञापांक-05/म.स./रा.यो.-162/2016-1240--राज्यान्तर्गत कार्यशील 38,432 आँगनबाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न रेसिपी के गर्म ताजा पका पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के लिए उक्त गर्म ताजा पोषाहार पकाया जाता है एवं बच्चों में वितरीत किया जाता है।

2. उक्त के लिए पूर्व में इन कर्मियों द्वारा ईंधन के रुप में लकड़ी एवं कोयले का प्रयोग किया जाता था। इन ईधनों का प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ भोजन तैयार करने वाले इन कर्मियों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्थित होकर सेवाएँ प्राप्त करने वाले बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पैदा करने वाले कारक थे।

इसके उन्मूलन के उद्देश्य से भोजन तैयार करने हेतु स्वच्छ ईधन के रुप में LPG गैस की सुविधा आँगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराने नीमित्त विभागीय संकल्प सं०-1832, दिनांक-14.06.2017 तथा अनुक्रमणीय संकल्प सं०-323, दिनांक-12.02.2021 एवं संकल्प सं०-2191, दिनांक-23.09.2022 द्वारा लिये गये निर्णयों के आलोक मेंप्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में LPG गैस संयोजन (DoubleBottleCylinder के रूप में) एवं कूकिंग स्टोव की आपूर्ति कराई गई है।

3. उल्लेखनीय है कि:-

a. राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों में औसतन 30 बच्चों का प्रतिदिन गर्म ताजा पका पोषाहार (रेसिपी संकल्प सं0-2576, दिनांक-01.11.2019 अनुसार) वितरीत कराया जा रहा है। इन्हें पकाने पर LPG खपत के संदर्भ में आँगनबाड़ी सेविकाओं, संबद्ध क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं गैस आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सियों से परामर्श प्राप्त किया गया एवं इनके द्वारा प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र प्रत्येक तिमाही 14.2 किग्रा० की एक LPGCylinder के खपत की संभावना व्यक्त की गई है।

b. विभागीय संकल्प सं0-2576, दिनांक-01.11.2019 के प्रावधानानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं को गर्म ताजा पोषाहार पकाने हेतु प्रति दिन प्रति बच्चा रू०-0.13 की दर से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रति केन्द्र औसतन 30 बच्चों की उपस्थिति के आधार पर प्रति माह (25 कार्यदिवस के आलोक में) रू०-97.50 एवं प्रति तिमाही रू०-292.50 परिगणित है तथापि घरेलु LPG संयोजन के 14.2 किग्रा० LPG Bottle Refillingकी वर्त्तमान बाजार दर रू०-960.50 है जो तुलनात्मक रूप से अधिक है।

ऐसे में आँगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं को LPG Bottle Refilling हेतु समुचित राशि उपलब्ध कराना विचारणीय है ताकि आंगनबाड़ी केन्द्रों में गैस संयोजन संबंधी निर्णय के निहित्त उद्येश्य की प्राप्ति हो सके।

4. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है-

i. राज्यान्तर्गत कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों/लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक केन्द्र प्रति तिमाही एक (01) - एक (01) LPG Cylinder Refilling कराई जायेगी। इस प्रकार प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष अधिकतम 04LPG Cylinder Refilling अनुमान्य होंगे। एतद् Refilling तत्समय प्रवृत्त दर पर प्राप्त किये जायेंगे।

ii. आँगनबाड़ी सेविकाएँ अपने केन्द्र के लिए प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में LPG Cylinder Refilling अपने आपूर्तिकर्त्ता वितरकों से प्राप्त करेंगी। एतद् हेतु अपेक्षित पंजीयनए भुगतान एवं LPG Cylinder Refilling प्राप्ति आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा किया जायेगा। इस संदर्भ में आवश्यक स्टॉक पंजी/ लेखा पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

iii. उपर्युक्त के विरूद्ध प्राप्त विपत्रों को आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा कराया जायेगा जिसके विरूद्ध विपत्र की राशि संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा एक पक्ष (15दिनों) के अन्दर संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध कराई जायेगी।

iv. आँगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म ताजा पोषाहार पकाने हेर्तु इंधन व्यय के रूप में उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी मद से व्यय राशि प्राप्त नहीं किया जायेगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं को गर्म ताजा पोषाहार पकाने हेतु सम्प्रति उपलब्ध कराये जा रहे प्रति दिन प्रति बच्चा रू०-0.13 राशि Discontinue होगी।

v. उपर्युक्त प्रावधानित कार्यों का सम्पादन एवं लागत व्यय वहन राज्य योजनान्तर्गत संचालित "आँगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण योजना" अधीन कराये जायेंगे।

vi. उपर्युक्त संबंधी सम्प्रति प्रवृत्त राज्यादेश इस हद तक संशोधित होंगे।

5. विचारित कार्य पर प्रतिवर्ष रू०-1476.56 लाख (=38432*4*960.50) का व्यय संभावित है अपितु यह परिवर्त्तनशील हैं एवं LPG Bottle Refilling की तत्समय प्रवृत्त बाजार दर के आधार पर संशोधित होंगे।

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि (अन्तिम तिमाही) में उक्त कार्य सम्पादन हेतु रू०-369.14 लाख के व्यय की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण योजना अधीन आपूर्ति एवं सामग्री इकाई में TSP मद में रू०-3423.34 लाख एवं OSP मद में रू०-2990.79 लाख अर्थात कुल रू०-6414.13 लाख बजट उपबंध प्राप्त है जिसके तहत् उपर्युक्त कार्य का सम्पादन कराया जायेगा।

6. उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु व्यय निमित्त राशि राज्य मद के निम्न शीर्ष:-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना - बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-A8-आँगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना -बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उप शीर्ष-A8-आँगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण;

7. एतद् प्रावधान इसके राज्यादेश निर्गत तिथि से प्रवृत्त होंगे।

8. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-16.03.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-11 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 394 - 50